पूर्व स्थिति की प्राप्ति/सामान्य स्थिति की बहाली

पुर्व स्थिति की बहाली आपदा प्रबंधन का अंतिम पडाव होता है। पूर्व स्थिति की प्राप्ति या सामान्य स्थिति की बहाली तब तक चलता है, जब तक कि सारा वातावरण, प्रक्रियाएं सामान्य स्थिति में न आ जाएं। यह अत्यन्त दीर्घकालिक गतिविधि होती है तथा कुछ स्थितियों में सामान्य स्थिति की बहाली 5 से 10 वर्षों अथवा इससे भी ज्यादा समय तक चलती है। सामान्य स्थिति की बहाली के अन्तर्गत निम्न स्थितियों की बहाली हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जायेगा–

1. भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं की बहाली।
2. स्थायी आवास हेतु संरचनाओं की बहाली।
3. जीवन यापन एवं रोजगार की बहाली।
4. व्यवसाय, व्यापार, कृषि की बहाली।
5. मनोवैज्ञानिक पुर्न स्थापना।

भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं की बहालीः

भौतिक आधारभूत ढांचा अर्थात सड़कें, बिजली पानी संचार आदि साधनों की पुनः स्थापना की जानी होती है। इस हेतु संदर्भित विभागों द्वारा एवं संबंधित ई0एस0एफ0 द्वारा त्वरित रूप से नुकसान का अनुमान लगाया जाए और आवश्यक निर्माण कार्यों हेतु योजना बना कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। इस हेतु संदर्भित विभाग में उपलब्ध कोष का उपयोग किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर राज्य शासन से अतिरिक्त कोष की मांग भी की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों हेतु ग्रामीण विकास विभाग से भी कोष प्राप्त किया जा सकता है। आधारभूत ढांचे की पुनः स्थापना हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 और एम0पी0एस0ई0बी0, संचार विभाग, जल बोर्ड आदि की भूमिका प्रमुख होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें और नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायतें सक्रिय भागीदारी निभा सकते है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की पुनः स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग को अपनी कार्ययोजना बनानी होगी, हालांकि ई0एस0एफ0 और स्थानीय निकायों (पंचायतें, नगर निगम आदि) की भी इस संदर्भ में सक्रिय भागीदारी होगी।

स्थायी आवास हेतु संरचनाओं की बहालीः

हाउससिंग बोर्ड एवं पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा आवास मरम्मत और पुनर्निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई जाएगी। इसके अलावा निजी आवासीय इमारतों की मरम्मत आदि में हुडको एवं वाणिज्यिक बैंकों की सहायता ली जा सकती है। बीमा पॉलिसी द्वारा कोष प्राप्त किया जा सकता है।

जीवन यापन एवं रोजगार की बहालीः

आपदा काल के पस्चात जीवन यापन एवं रोजगार के साधनों की समस्या आती है इसके लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान किया जायेगा। इसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का सहयोग लिया जायेगा। साथ ही लघुउद्योगों को स्थापित किये जाने हेतु समुचित प्रयास किये जायेगें।

व्यवसाय, व्यापार, कृषि की बहालीः

पूर्व स्थिति की प्राप्ति एवं सामान्य स्थिति की बहाली में व्यवसाय, व्यापार, कृषि भी एक महत्वपूर्ण भाग हैं किसी भी आपदा के पस्चात कृषि कार्य सहित अन्य व्यवसायों में भी असर पडता है। लोगों के खेतों की फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा व्यवसाय एवं व्यापार के साधन भी अस्त–व्यस्त हो जाते हैं अतः इन्हें पुनः स्थापित करने के लिए कृषि विभाग, जिला पंचायत, एवं जिला उद्योग एवं व्यापार विभाग की सहायता ली जायेगी।

मनोवैज्ञानिक पुर्नस्थापनाः

मनोवैज्ञानिक पुर्नस्थापना सामान्य स्थिति की बहाली का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। किसी भी आपदा के बाद ऐसे लोगों की संख्या बहुत हो जाती है जो मनोवैज्ञानिक रूप

से बहुत कमजोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से टूट जाते है, तथा आसपास के वातावरण से सामंजस्य बैठाने में असहज महसूस करते हैं, ऐसे में उन्हें मानसिक सम्बल तथा मनोविशेषज्ञों के परामर्श एवं उपचार की आवश्यकता होती है। हालांकि सदमें से बाहर निकलना और सामान्य जीवन जीने की प्रक्रिया लंबी होती है, और इसमें धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को आगे आकर लोगों हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता एवं परामर्श नियमित रूप से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक पहल किया जायेगा। इस कार्य हेतु जिले में कार्यरत प्रमुख स्वयं सेवी संगठन की भी सहायता प्राप्त की जायेगी। आपदा प्रभावित लोगों के मनोवैज्ञानिक पुर्नलाभ एवं बहाली हेतु विशेषज्ञों की मद्द से परामर्श केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

आपदा राहत निधि

भारत सरकार द्वारा विभिन्न आपदाओं के दौरान होने वाली मृत्यु/क्षति के लिए आपदा राहत निधि (सी0आर0एफ0) तथा राष्ट्रीय आकस्मिकता निधि (एन0सी0सी0एफ0) की स्थापना की गयी है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षति के लिए निर्धारित क्षति पूर्ति का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार एवं जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि का उपयोग सामान्य स्थिति की बहाली में किया जायेगा। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा जिला स्तर पर आपदा राहत निधि स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक प्रयास एवं पहल की जायेगी।